तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.4.20.	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तबा होकर पत्रावली दिनांक 2.6.20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
11/6/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तबा होकर पत्रावली दिनांक 22/7/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
22-07-20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तबा होकर पत्रावली दिनांक 29/9/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
19/1/2021	अधिवक्ता ~~उभय~~ पक्ष उप०। अधिवक्ता श्री कैलाश दवे तथा श्री श्याम गहलोत ने दिनांक 07/1/2020 को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 तथा 1 व 3 की ओर से पृथक पृथक वकालतनामा पेश किये, शा० मि० किये गये है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने पृथक पृथक मय बयान दस्तावेज संलग्न दिनांक 07/3/2019 10/5/18 व 3/6/19 तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070-73 की छाया प्रतियां पेश की है, शा० मि० किये जावें। प्रा० पक्ष अन्तर्गत धारा 23 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का पृथक से जवाब पेश नहीं करना चाहते है, जवाब प्रा० पक्ष बन्द किया जाता है। अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण बतौर साक्ष्य का पेश किया कि प्रार्थीया अप्रार्थी सं० 1 व 2 की माता तथा 3 व 4 की सास है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया की जायन्दा सन्तान है। प्रार्थीया ने अपने पति के साथ रहते हुए अप्रार्थी सं० 1 व 2 का भरण पोषण कर अच्छी शिक्षा दी व विवाह योग्य होने पर यथोचित दहेज का सामान देकर अप्रार्थी सं० 3 व 4 के साथ शादी करवाई। जिसके बाद में अप्रार्थी संख्या 01 सुशीला देवी अपने पति अप्रार्थी संख्या 3 नेमाराम घड़िया कुम्हार तथा अप्रार्थी संख्या 2 पुष्पादेवी अपने	

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	साथ बेरा ठीमड़ी

पति अप्रार्थी संख्या 5 सोहनलाल के साथ बेरा ठीमड़ी सोजत सिटी पर रही तथा दाम्पत्य जीवन निर्वाह किया जिससे उनके तीन - तीन सन्तानों का जन्म हुआ। सरहद मौजा सोजत खण्ड 1 में ख.न. 3409, 3412 3413 व 3414 कुल किता 5 रकबा 0.9200 हेक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है जिसमें ख.न. 3413 रकबा 0=0600 हे. भूमि पर प्रार्थिया ने अपने खून पसीने की कमाई से व मेहनत मजदूरी कर फसल मजदूरी की एवं रु. मेहनत की कमाई से व मेहनत की फसल मजदूरी की एवं रु. मकान बनाया जिसमें प्रार्थिया अपने पुत्र के साथ रहवास कर रही है। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की निवास में मकान कर रही है। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की निवास में सहभागी करते हुए एक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए एवं प्रार्थिया के उक्त पर बने मकान को हड़प करने की योजना बनाकर दिनांक 7/6/17 को लाठी लकड़ी लेकर मेरे उक्त रहवासी मकान पर आए तथा आते ही माँ बहन मेरे उक्त रहवासी मकान पर आए तथा आते ही माँ बहन की गन्दी गालियां बोलने लग गये। मेरे साथ थापे मुक्के से मारपीट की तथा मुझे खाली स्टाम्प एवं कागजों पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा। मेरे मना करने पर अप्रार्थीगण ने मारपीट की। मेरे द्वारा शोर करने पर मेरे पुत्र जो मकान के पास ही था की रोने पर मेरे पुत्र जो मकान के पास ही था ने बीच बचाव खाली कर अपने घर आ रहा था, ने बीच बचाव कर छुड़ाया। अप्रार्थीगण ने उसके भी मारपीट की तथा प्रार्थिया व पुत्र को अपने रहवासी मकान से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मुझे व मेरे पुत्र को अपने मकान में जाने नहीं दे रहे हैं तथा उन्होंने नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है लिया है। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 6/7/17 को पुलिस थाना - सोजत सिटी में पेश किया लेकिन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की तथा उक्त रिपोर्ट के बावजूद भी अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से मकान पर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है अप्रार्थी सं. 1 व 3 का रहवासी मकान खटिया कुआं व बेरा ठीमड़ी सोजत सिटी में आया हुआ है। प्रार्थिया अत्याधिक वृद्ध तथा पति का भी देहान्त हो चुका है। प्रार्थिया के पास रहने का अन्य कोई मकान नहीं है तथा न ही आय का अन्य कोई साधन है प्रार्थिया का पुत्र सोजत शहर में किराये रिक्शा से पानी की टंकियां सप्लाई करता है, जिससे उसकी आय काफी कम है। तथा प्रार्थिया का भरण पोषण करने में असमर्थ है। अप्रार्थीगण द्वारा तंग व परेशान करने से वह शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर है। मधुमेह रोग से पीड़ित है तथा वृद्धावस्था से कमजोर बीमार रहती है। इस प्रकार प्रार्थिया पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात अधिवक्ता मय प्रार्थिया ने पेश कर उक्त रहवासी मकान पर जबरदस्ती रूप से अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण से मुक्त

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
करवाकर कब्जा उसे दिलवाये जाने तथा प्रार्थिया के भरण पोषण, दवाईयां, ईलाज, खान पान आदि की आधारभूत सुविधाएं हेतु 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये प्रतिमाह दिलवाये जाने की इस्तदुआ की है। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता द्वारा प्रा. पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहने से जवाब बन्द किया गया है।	
उभय पक्षकारों को सुना गया तथा बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थिया ने व्यक्त किया कि प्रार्थिया वृद्ध कमजोर होने से नाजायज रूप से प्रार्थिया के स्वामित्व मकान पर कब्जा कर परेशान कर लिया है। प्रार्थिया वृद्धावस्था में बीमार है, शारीरिक व मानसिक रूप से काफी कमजोर है। जिसके भरण पोषण हेतु तथा ईलाज दवाईयां तथा आधारभूत सुविधाएं हेतु 10,000/- रुपये प्रतिमाह अप्रार्थीगण से दिलवाये जाने तथा उक्त मकान का कब्जा दिलवाये जाने की निवेदन की है। जिसके जवाब बहस में अधिवक्तागण मय अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण ने अपने पुत्र को पक्षकार नहीं बनाया है, अपने एक दिवंगत की भूमि राजस्थान के संबंधित बेचान विक्रय विलेखों के अनुसार अन्य को बेचान कर उचित राशि प्राप्त कर ली है। जिससे भरण पोषण हो रहा है। वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण (पुत्रियों व दामादों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अधीन केवल इस पेश नहीं करने से खारिज होने से खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है।	
— :: आदेश :: —	
अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 23 भरण पोषण अधिनियम का अधीन केवल इस आधार प्रार्थिया द्वारा अपने एक दिवंगत की भूमियां अन्य को उचित राशि प्राप्त कर विक्रय किया जाना पंजीकृत दस्तावेजात से प्रमाणित है। प्रा. पत्रानुसार प्रार्थिया ने अपने पुत्र को पक्षकार नहीं बनाया है तथा मात्र अपनी पुत्रियों तथा दामादों को पक्षकार बनाया है तथा वास्तविक तथ्यों को उल्लेखित नहीं कर तथ्यों को छुपाया जाना परिलक्षित होता है। लिहाजा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथापि यदि आवश्यक होने की स्थिति में आवश्यक समस्त पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाकर वास्तविक तथ्यों से परिपूर्ण नया प्रा. पत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। पत्रावली का नाम नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / रेकर्ड भण्डार जमा हो	
उप खण्ड अधिकारी	
निर्णय आज दिनांक 19/1/21 को खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] गया।	
उप खण्ड अधिकारी	